न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : पर्वत सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 98/22(प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/361

अनवान्

1. श्री मकनदास पिता नंदादास मृतक के बजाय :–
   1/1. प्रभादेवी पत्नि मकनदास वैरागी निवासी हींता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
   1/2. पूस्पादेवी पुत्री मकनदास पत्नि रमेशदास वैरागी निवासी जाश्मा तहसील कपासन जिला चित्तोडगढ़।
   1/3. रमादेवी पुत्री मकनदास पत्नि बाबूदास वैरागी निवासी रानपूर जिला निमच।
   1/4. हेमलता पुत्री मकनदास पत्नि राजूदास वैरागी निवासी छीपो का आकोला तहसील कपासन जिला चित्तोडगढ़।
   1/5. सीमादेवी पुत्री मकनदास पत्नि राजकुमार वैरागी निवासी कपासन जिला चित्तोडगड।
   1/6. सुषमादेवी पुत्री मकनदास पत्नि दिपकदास वैरागी निवासी मावली
2. श्री राधेश्यामदास पिता नंदादास वेरागी निवासी हींता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
3. श्री भगवानदास पिता नंदादास वेरागी निवासी हींता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
4. श्री विष्णुदास पिता नंदादास वेरागी निवासी हींता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री सोहनदास पिता उंकारदास वैरागी निवासी आदर्श कोलोनी कपासन जिला चित्तोडगढ।
2. श्री बद्रीदास पिता उंकारदास वैरागी निवासी डूगला जिला चित्तोडगढ ।
3. श्री गोपालदास पिता उंकारदास वैरागी निवासी डूंगला जिला चित्तोडगढ।
4. भूमिधारी तहसीलदार जी वल्लभनगर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
5. उप पंजीयक महोदय कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

..................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री श्रवण पोखरना, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक:–26.10.2023

1. प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि मौजा हींता पटवार हल्का हींता, तहसील कानोड, जिला उदयपुर (राज.) में खाता संख्या 685, 686, 688 से 690 में स्थित थी जिनमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता नंददास [illegible] उंकारदास के नाम पर बाराबर भाग से अंकित थी। प्रतिवादीगण के [illegible] हींता से अपना निवासी स्थान त्याग कर राजस्व ग्राम डूंगला [illegible] तब उन्होने अपने [illegible] की हिस्से की भूमि जो राजस्व ग्राम हींता में होने से उसकी [illegible] नहीं कर सकते थे [illegible] दिनांक 11.06.1970 को एक विक्रय पत्र लिखकर वादीगण के पिता नंददास से 2000/– रूपया लेकर विक्रय पत्र की रजिस्ट्री निष्पादित कर दी। विक्रय पत्र लिखते समय गांव के पटवारी जी से उंकारदास के हिस्से वाली समस्त भूमि की जमाबंदीयों की नकल मांगी थी परन्तु उन्होने सभी खातो की नकल नहीं देकर कुछ खातो की नकल ही उपलब्ध कराई इस कारण विक्रय पत्र में अराजी नंबर 1546, 2004 एवं 2202 के हिस्से का ही अंकन किया जा सका जबकि उंकार दास

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.15 16:50:43 IST
Reason: SelfAttested

ने राजस्व ग्राम हींता में स्थित उनके हिस्से की समस्त भूमि वादीगण के पिता श्री नंदादास के पक्ष में 2000/– रूपये लेकर विक्रय हस्तान्तरण कर चुके थे एवं उनके खाते की समस्त भूमि का कब्जा वादीगण के पिता को सौप दिया था जिस पर वादीगण आज तक काबिज होकर निरन्तर 47 वर्षो से कृषि करते आ रहे है।

2. यह कि ऊपर वर्णित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.06.1970 में उल्लेखित आराजी नंबर 1546, 2004 एवं 2202 से उंकार दास का हिस्सा हटकर नांमातरणकरण के माध्यम से वादीगण के पिता नंदादास के नाम पर अन्तरित हो गया एवं उनके स्वर्गवास के बाद उपरोक्त भूमि हम वादीगणों के नाम पर अंकित हो गई तथा इस भूमि में से उंकार दास का हिस्सा विलोपित हो गया परन्तु पटवारी ने जिन खातो की नकल उपलब्ध नहीं कराई उन खसरो का अंकन विक्रय पत्र में नहीं हो सका इस भूल का एहसास उंकार दास को हो गया। इसलिये भूमि का संयुक्त खाता संख्या 685, 686, 689 एवं 690 में उंकारदास का नाम हटाने के लिये उंकारदास जी स्वय ने स्टाम्प संख्या 363 मूल्य 2/– रूपया खरीदा एवं इस स्टाम्प पर पूर्व में लिखे गये दस्तावेज की निरन्तरता में दिनांक 11.06.1970 के साथ संलग्न कर दी परन्तु दिनांक 23.06.1970 को उक्त विक्रय पत्र को रजिस्टर्ड कराते समय स्टाम्प संख्या 363 मूल्य 2/– पर की गयी लिखापडी पर सब रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होने से रह गये। इस कारण पटवारी ने स्टाम्प संख्या 363 मूल्य 2/– में अंकित खेतों का नामांतरकरण वादीगण के नाम पर नहीं खोला।

3. यह कि ऊपर वर्णित 2/– के स्टाम्प पर की गई लिखा पडी में उंकार दास ने अंकित किया कि मौजा हींता में काश्त की भूमि जो आपको 2000/– रूपये में बेची है जिसका कुल रकबा 3 बीघा आराजी था एवं लगान 6 रूपये 17 आना था उसके साथ मेरी खाते की आराजी जिस पर मेरा ही कब्जा था इन्ही 2000/– रूपये में विक्रय कर दी गई थी एवं आपको कब्जे में दे दी गई थी।

4. यह कि ऊपर वर्णित लिखापढी को वादीगण के पिा नंदादास जी ने अपने पास रखा तथा इस लिखापढी में उल्लेखित भूमि में से उंकार दासजी का नाम हटाने के लिये कई बार राजस्व अभियान में आवेदन किया गया परन्तु खातेदार हिस्सेदार विक्रेता उंकारदास जी का स्वर्गवास हो जाने तथा उनके वारिस प्रतिवादीगणों द्वारा मौके पर उपस्थित होकर अपनी सहमति नहीं देने के कारण उंकारदास जी के नाम से जमाबंदी में अंकित भूमि अपने नाम पर कराने में वादीगण असफल रहे। यह कि उंकारदासजी [illegible] जी के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जिनको वादग्रस्त भूमि उनके पिता के [illegible] होने का ध्यान ही नहीं था परंतु जब वादीगण ने उक्त भूमि को वादीगण के नाम पर [illegible]रण खुलवाने हेतु कहा तो उन्होने टालमटोल करते हुए भूमि प्रतिवादी[illegible] करा कर बिना कब्जे के ही विक्रय हस्तान्तरित करने की असफल कोशिश कर रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.15 16:50:43 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि प्रार्थी प्रार्थनाग्रस्त भूमि में पिछले 47 वर्षो से काबिज होकर कृषि कार्य कर रहें है परंतु जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता स्वर्गीय श्री उंकारदास जी का नाम लिखा होने से अप्रार्थीगण इस भूमि को अपने नाम हस्तान्तरित कराने पर उतारू है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन

किया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि को स्वयं या अपने ऐजेंट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय हस्तान्तरित नहीं करें एवं मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति में परिर्वतन नहीं करें।

6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 से 3 की तरफ से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा हींता की आराजी नंबर 1546, 2004, 2202 का विक्रय पत्र 23.06.1970 को उंकारदास द्वारा नंददास के पक्ष में निष्पादित कर पंजीयन कराना स्वीकार है। शेष कथन अक्षर–अक्षर गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी 1 से 3 के पिता उंकारदासजी द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात विक्रय की परंतु इसके अलावा उंकारदासजी ने न तो अपनी भूमि अपने भाई नंददास को दी और न ही विक्रय की और न ही नंददास के पक्ष में ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादित किया है।

7. यह कि विक्रय पत्र के अनुसार जो भूमि उंकारदास ने नंददास को विक्रय की वो नंददास के नाम अंकित हो गई तथा नंददास के निधन के बाद उनके वारिस प्रार्थीगण के नाम अंकित हो गई लेकिन शेष उंकारदासजी के आराजीयात उंकारदासजी के खातेदारी, हक, अधिकार, आधिपत्य, स्वत्व की है जिसमें प्रार्थीगण के पिता नंददासजी एवं प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार एवं आधिपत्य न तो था न है। इस कलम में उंकारदासजी द्वारा स्टांप संख्या 363 पर लिखापढी का कथन गलत होकर अस्वीकार। उंकारदासजी ने दिनांक 11.06.1970 अथवा 23.06.1970 को अथवा अन्य किसी दिनांक को नंददासजी के पक्ष में कोई लिखापढी या इकरार निष्पादित नहीं किया। उक्त दोनो दस्तावेज उंकारदासजी के बिना ज्ञान, बिना सहमति के उंकारदासजी की कुलिया संपत्ति को हडपने की बदनियत से नंददासजी ने दस्तावेज लेखक से मिलकर छल–कपट एवं धोखे से उंकारदासजी के अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाकर निष्पादित करावाया हो तो ऐसे दस्तावेज के आधार पर नंददासजी को अथवा उनके वारिसान को किसी प्रकार का कोई राइट प्राप्त नहीं होता है तथा उक्त दोनो दस्तावेजों पर उंकारदासजी ने अपनी कोई अंगुष्ठ निशानी नहीं की न ही कब्जा सिपुर्द किया ऐसी स्थिति में कथित दस्तावेज 11.06.1970 एवं 23.06.1970 फर्जी, नुमाइशी, अवैध, अकृत होकर हम विपक्षीगण के मुकाबले शुन्य एवं बेअसर है तथा उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण को यह वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। स्व. उंकारदासजी ने अपने जीवनकाल में उक्त कथित फर्जी लिखापढीयों के बारे में कभी नहीं बताया और प्रार्थीगण के पिता अथवा प्रार्थीगण ने भी कभी कोई एतराज नहीं किया।

8. यह कि दो रूपये के स्टांप पर उंकारदासजी ने नंददासजी के पक्ष में जमीननामी वेला आंबा के पश्चिम वाली टूकडी पिंजारा का कुआ [illegible] उंकारदासजी को सिपुर्द नहीं की। इस कलम में प्रार्थीगण ने फर्जी मिथ्या बनाकर दस्तावेज के आधार पर कथन किया जो अस्वीकार है ऐसी स्थिति में ऐसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर नंददास एवं प्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है न [illegible] वे कानूनन खातेदार है। नंददासजी एवं प्रार्थीगण को इस बात का भलीभांती ज्ञान था कि उंकारदासजी द्वारा अपनी भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ये नंददास को विक्रय इसके अलावा कोई भी दस्तावेज उंकारदासजी ने नंददासजी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया न ही अपनी अंगुष्ठ निशानी की। प्रार्थीगण व उनके पूर्वाधिकरी नंददास ने उक्त दस्तावेज को 47 साल तक गुप्त रखा और उंकारदासजी के जीवनकाल में इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.15 16:50:43 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेंजों बावत कभी कोई बात नहीं की और उंकारदासजी के निधन बाद वादग्रस्त भूमि विरासत से विपक्षी 1 से 3 के नाम हिस्सा बराबर से अंकित हो गई। विदित रहे कि उंकारदासजी डुंगला गए यह कथन सही है लेकिन डुंगला जाने से भूमि के हक हिस्से अधिकार एवं खातेदारी राइट समाप्त नहीं होते है। उंकारदासजी जब तक जीवित रहे वो इस भूमि पर काश्त करते थे और उनके निधन के बाद हम विपक्षीगण काश्त कर पैदावार ले रहे है तथा वर्तमान में भी हमारी काश्तशुदा फसलों की पैदावार ली है। प्रार्थीगण का हमारी भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है इसलिए प्रार्थीगण हमारे विरूद्व किसी प्रकार की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है।

9. यह कि हम विपक्षीगण के पिता उंकारदासजी द्वारा प्रार्थीगण के पिता नंददास जी को कभी कोई लिखापढी नहीं की व नहीं ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादीत किया है प्रार्थीगण ने हम विपक्षीगण के स्वामित्व हक अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि को जबरन हडपने की बदनियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। उंकारदास जी के हम विपक्षीगण विधिक वारिसान होकर हिस्सा बराबर से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। विपक्षीगण द्वारा विशेष कथन प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन कियां।

10. हमने प्रकरण में अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस मय नजीर RRD 1998 page 206 जाहीर अहमद बनाम मुन्सीपल कॉर्पोरेशन जयपुर, सिविल टाईम (राज.) 2003 (1) सुरवा सिंह बनाम महलसिंह RRD 1995 page 764 सोहन सिंह बनाम शिवदेवी, RRT 2009 (1) 597 करमजीत कॉर बनाम गुरूदी सिंह, RBJ 1999 (6) page 414 सिविल टाईम्प 2004 (1) रामगोवडा बनाम वरज्पा नाईडू पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्व एकरतरफा कार्यवाही की जा चुकी है।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व नजीरों का सदभावपूर्वक अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है

प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली के अवलोकन से यह पाया कि राजस्व ग्रामं हींता की खाता संख्या 685, 686, 688, 689, 690 प्रार्थीगण के पिता नन्दादास एवं विपक्षीगण के पिता स्व. उंकारदास के नाम पर बराबर भाग [illegible] अंकित थी। प्रतिवादीगण के पिता उंकारदासजी द्वारा दिनांक 11.08.1970 को एक [illegible] लिखकर प्रार्थीगण के पिता नन्दादास जी से 2000/– रूपया [illegible] 1970 को रजिस्ट्री निष्पादित कर दी। उक्त विक्रय पत्र में खाता संख्या 688 के आराजी नंबर 1546, 2004, 2202 भूमि में से विपक्षीगण के पिता का हिस्सा विलोपित होकर प्रार्थीगण के पिता के नाम अंकित हो गई। प्रार्थीगण के कथनानुसार उक्त विक्रय पत्र के साथ संयुक्त खाता संख्या 685, 686, 689, व 690 का अंकन नहीं होने से उंकारदास जी स्वयं द्वारा स्टाम्प संख्या 363 मुल्य 2/– रूपया खरीदा एवं इस स्टाम्प पर पुर्व में लिखे गये दस्तावेज की निरन्तरता मे दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.15 16:50:43 IST
Reason: SelfAttested

11.06.1970 को ही दुबारा लिखापढी करके पुर्व में लिखे गये विक्रय पत्र दिनांक 11.06.1970 के साथ संलग्न कर दी परंतु दिनांक 23.06.1970 को उक्त विक्रय पत्र को रजिस्र्टड कराते समय स्टाम्प संख्या 363 मुल्य 2/– पर की गयी लिखापढी पर सब–रजिस्टार के हस्ताक्षर होने से रह गए। प्रार्थीगण के कथनानुसार उक्त 2/– रूपये के स्टाम्प पर श्री उंकारदास द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से को उन्ही 2000/– रूपये में विक्रय कर दी थी एवं कब्जे को सिपुर्द कर दिया था तथा साक्ष्य के रूप में स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 सोहनदास के हस्ताक्षर करना बताया जिस पर नीचे तारीख 11.06.1970 अंकित है। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में आराजी नंबर 1546, 2004, 2202 का विक्रय पत्र दिनांक 23.6.1970 को नंदादास के पक्ष में निष्पादित होना स्वीकार किया लेकिन शेष आराजीयात को विक्रय किया जाना अस्वीकार किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह पाया कि विपक्षीगण के पिता द्वारा आराजी नंबर 1546, 2004, 2202 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.06.1970 को अपना हिस्सा प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में निष्पादित कर दी। इस विक्रय पत्र के साथ दिनांक 11.06.1970 को 2/– रूपये स्टाम्प पर एक लिखापढी की जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। प्रार्थीगण के कथनानुसार उक्त लिखापढी में प्रार्थनाग्रस्त आरजीयात को विपक्षीगण के पिता द्वारा उन्ही 2000/– रूपये विक्रय कर दी जिसका निष्पादन दिनांक 23.06.1970 को किया गया था। उक्त स्टाम्प की सत्यता को मूल वाद में साक्ष्य सवुत के आधार पर तय किया जाना है। प्रथम दृष्टया प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में विपक्षीगण भी खातेदार है अगर प्रार्थनाग्रस्त विपक्षीगण के नाम होने से अगर किसी प्रकार का बेचान हो जाता है तो इससे प्रार्थीगण को क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से सुविधा संतुलन का बिंदु भी की प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।
3. **सुविधा संतुलन** :– प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से अपुरणनीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के सा[illegible] निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में ग्राम हींता की [illegible] 685, [illegible] 688, 689, 690 में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के पिता के नाम बराबर [illegible] द्वारा आराजी नंबर 1546, 2004, 2202 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.06.1[illegible] को अपना हिस्सा प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में निष्पादित कर दी। इस विक्रय पत्र के साथ दिनांक 11.06.1970 को 2/– रूपये स्टाम्प पर एक लिखापढी की जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। प्रार्थीगण के कथनानुसार उक्त लिखापढी में प्रार्थनाग्रस्त आरजीयात को विपक्षीगण के पिता द्वारा उन्ही 2000/– रूपये विक्रय कर दी जिसका निष्पादन दिनांक 23.06.1970 को किया गया था। उक्त स्टाम्प की सत्यता को मूल वाद में साक्ष्य सवुत के आधार पर तय किया जाना है। प्रथम दृष्टया प्रार्थनाग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.15 16:50:43 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात में विपक्षीगण भी खातेदार है अगर प्रार्थनाग्रस्त विपक्षीगण के नाम होने से अगर किसी प्रकार का बेचान हो जाता है तो इससे प्रार्थीगण को क्षति होगी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा हींता पटवार हल्का हींता, तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.) में जमांबदी संवत् 2052—55 की खाता संख्या नया 685 की आराजी नंबर 1543, 1547, 1550, 1552 किता 4 रकबा 04 बीघा 5 बिस्वा, खाता संख्या नया 686 की आराजी नंबर 2194/2, 2203 किता 2 रकबा 01 बीघा 5 बिस्वा, खाता संख्या नया 689 की आराजी नंबर 1496/1, 1497/1 किता 2 रकबा 09 बीघा, खाता संख्या नया 690 की आराजी नंबर 2194/3 रकबा 01 बीघा 3 बिस्वा भूमि में भू—प्रबंधन के बाद बने नये नंबरान के आधार विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.15 16:50:43 IST
Reason: SelfAttested